

न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (भारतीय विद्युत अधिनियम 2003) गोहदजिला भिण्ड, (म0प्र0)(समक्ष – सतीश कुमार गुप्ता)विशेष विद्युत प्रकरण क0 02 / 13संस्थापन दिनांक-11-01-2013

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र मालनपुर जिला भिण्ड  
(म0प्र0)

-----अभियोजन

// वि रु द्ध //

- 1.इस्पाक पुत्र अहमद खॉ आयु 25 वर्ष
  - 2.हजरत उर्फ करुआ पुत्र मुस्ताक खॉ आयु 22 वर्ष
- उक्त दोनों कौम मुसलमान निवासी ग्राम टुड़ीला थाना  
मालनपुर जिला भिण्ड (म0प्र0)

-----अभियुक्तगण

---

राज्य की ओर से – श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।

अभियुक्तगण की ओर से – श्री आर0पी0एस0 गुर्जर अधिवक्ता।

---

// निर्णय //

(आज दिनांक 09/05/18 को घोषित)

01. अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 136 भारतीय विद्युत अधिनियम के अंतर्गत इस आशय के आरोप हैं कि अभियुक्तगण के द्वारा दिनांक 09 व 10.09.12 की दरमियानी रात में स्थान थाना मालनपुर क्षेत्रांतर्गत टुकेड़ा मौजा सड़क गांव के किनारे से सर्वा 33/11 के.व्ही. सब स्टेशन तक की नई लाईन 33 के.व्ही. की लाईन के 18 एच0पी0 के तीनों तार 5.4 कि.मी. लंबाई के काटकर ले गये, जिससे कंपनी को लगभग 40000/- रुपये की क्षति कारित हुई।
02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत/निर्विवादित तथ्य नहीं है।
03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.09.12 को 18:10 बजे

आरक्षी केंद्र मालनपुर में उपस्थित होकर फरियादी अंशु सक्सेना कनिष्ठ यंत्री म०प्र०म०क्ष०वि०क० लिमिटेड विद्युत वितरण केंद्र कीरतपुरा द्वारा इस आशय की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आज क्षेत्रीय लाईन हेल्पर अर्जुन सिंह ने आकर बताया है कि दिनांक 09-10.09.12 की दरमियानी रात में स्थान थाना मालनपुर क्षेत्रांतर्गत टुकेड़ा मौजा सड़क गांव के किनारे से 33/11 के.व्ही. सब स्टेशन तक की नई लाईन 33 के.व्ही. के 18 एच०पी० के तीनों तार लंबाई 5.4 कि.मी. किसी अज्ञात चोरों द्वारा काट लिये गये हैं, जिससे कंपनी को लगभग 40000/- रुपये की क्षति कारित हुई। उक्त रिपोर्ट पर से अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध धारा 136 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत अप०क्र० 130/12 पर प्र०पी०-1 के अनुसार अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना के अनुक्रम में घटनास्थल का मानचित्र प्र०पी०-2 बनाया गया एवं साक्षीगण कनिष्ठ यंत्री अंशु सक्सेना, लाईन हेल्पर अर्जुन सिंह, लाईनमेन अरसद खॉ, जयवीर सिंह, रमेश व लटूरी उर्फ मूलचंद के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना के अनुक्रम में दिनांक 29.12.12 को अभियुक्तगण इस्पाक व हजरत से पूछताछ किये जाने पर उनके द्वारा प्रश्नगत चोरी के संबंध में क्रमशः मेमोरेण्डम प्र०पी०-5 व 8 के अनुसार प्रकटीकरण किये जाने पर उन्हें गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०-4 व 7 के अनुसार गिरफ्तार कर उनके कब्जे से जप्ती पत्रक प्र०पी०-6 व 9 के अनुसार विद्युत तार के 20-20 किलो के एक-एक बंडल जप्त कर जप्तशुदा तार की शिनाख्ती मेमो प्र०पी०-3 के अनुसार फरियादी अंशु सक्सेना से शिनाख्ती कराई गई। अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

**04.** प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 136 भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के तहत आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध स्वीकृत करना अस्वीकार करते हुये विचारण चाहे जाने के कारण अभियोजन पक्ष की ओर से मामले के समर्थन में साक्षीगण कनिष्ठ यंत्री अंशु सक्सेना अ०सा०-1, लाईन हेल्पर अर्जुन सिंह अ०सा०-2, सहा. लाईन मेन अरसद खॉ अ०सा०-3, केशव देव शर्मा अ०सा०-4, गजेंद्र सिंह अ०सा०-5, जयदेवी अ०सा०-6, शिवराम सिंह तोमर अ०सा०-7 तथा श्रीनिवास यादव अ०सा०-8 को परीक्षित कराया गया। तत्पश्चात अभियुक्तगण का द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने अपने-आप को निर्दोष होना व रंजिशन झूठा फँसाया जाना व्यक्त करते हुये बचाव में अभियुक्त हजरत ब०सा०-1 को परीक्षित कराया गया है।

**05.** प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं:-

01.	क्या अभियुक्तगण के द्वारा दिनांक 09 व 10.09.12 की दरमियानी रात में स्थान थाना मालनपुर क्षेत्रांतर्गत टुकेड़ा मौजा सड़क गांव के किनारे से सर्वा 33/11 के.व्ही. सब स्टेशन तक की नई लाईन 33 के.व्ही. की
-----	--

लाईन के 18 एच०पी० के तीनों तार 5.4 कि.मी. लंबाई के काटकर ले गये, जिससे कंपनी को लगभग 40000/- रुपये की क्षति कारित हुई ?
---

## ॥ साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष ॥

### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

**06.** जहाँ तक उक्त विचारणीय प्रश्न का संबंध है, अभिलेखगत साक्ष्य सहित प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख का गहन परिशीलन तथा मूल्यांकन करने पर पाया जाता है कि फरियादी कनिष्ठ यंत्री अंशु सक्सेना अ०सा०-1 का अपने न्यायालयीन कथनों में अभियोजन के इस मामले के अनुरूप स्पष्ट रूप से कहना है कि वह दिनांक 10.09.12 को गोहद कीरतपुरा डी०सी० पर कनिष्ठ यंत्री के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को लाईन हेल्पर अर्जुन द्वारा कार्यालय में आकर बताया गया कि दिनांक 9 व 10.09.12 की दरमियानी रात में 33 के.वी. के तार रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिये गये हैं, जो तार 5.4 कि.मी. लंबे थे एवं जिसकी कीमत लगभग 40000 रुपये होकर उनका साईज एएए सी कण्डेक्टर था। उक्त घटना की एफआईआर उसी दिनांक को उसके द्वारा थाना मालनपुर पर लेख कराई थी, जो प्र०पी०-1 है। तत्पश्चात दिनांक 11.09.12 को पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का नक्शाभौका तैयार किया, जो प्र०पी०-2 है। लाईन हेल्पर अर्जुन सिंह अ०सा०-2 व लाईनमैन अरशद खॉ अ०सा०-3 ने भी अपने न्यायालयीन कथनों में उपरोक्तानुसार कथन करते हुये फरियादी कनिष्ठ यंत्री अंशु सक्सेना अ०सा०-1 के उक्त कथनों को भली भांति पुष्ट किया है।

**07.** रिपोर्ट लेखक एसआई गजेंद्र सिंह अ०सा०-4 ने भी अपने न्यायालयीन कथनों में दिनांक 10.09.12 को थाना मालनपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुये फरियादी के बताये अनुसार अप०क्र० 130/12 पर धारा 136 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत प्र०पी०-1 की रिपोर्ट लेखबद्ध करना बताया है एवं मामले में विवेचक श्रीनिवास यादव अ०सा०-8 का कहना है कि उसने उक्त अपराध की विवेचना के अनुक्रम में साक्षीगण अंशु सक्सेना, अर्जुन व अरशद के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करना बताते हुये फरियादी अंशु सक्सेना की निशादेही पर घटनास्थल का मानचित्र प्र०पी०-2 बनाया जाना प्रकट किया है और प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों साक्षीगण अपने कथनों पर भली भांति स्थिर रहे हैं। अतः रिपोर्ट लेखक व विवेचक होकर तटस्थ साक्षीगण एसआई गजेंद्र सिंह अ०सा०-5 एवं एसआई श्रीनिवास अ०सा०-8 के कथनों से भी उनकी सीमा तक फरियादी कनिष्ठ यंत्री अंशु सक्सेना अ०सा०-1 के उक्त कथन भली भांति पुष्ट होना पाये जाते हैं।

08. इसी प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-1 एवं घटनास्थल के मानचित्र प्र०पी०-2 के अवलोकन से भी जहां एक ओर फरियादी कनिष्ठ यंत्री अंशु सक्सेना अ०सा०-1 के उक्त कथन भली भांति पुष्ट होना पाये जाते हैं और उनके मध्य कोई महत्वपूर्ण विसंगति होना नहीं पायी जाती है, वहीं दूसरी ओर अभिलेख से यह स्पष्ट है कि घटना के समय व स्थान पर से प्रश्नगत तारों की चोरी हो जाने संबंधी लाईन हेल्पर अर्जुन सिंह अ०सा०-2 एवं लाईनमैन अरसद खॉ अ०सा०-3 सहित फरियादी कनिष्ठ यंत्री अंशु सक्सेना अ०सा०-1 के उक्त कथनों को बचाव पक्ष के द्वारा कोई भी चुनौती नहीं दिये जाने के कारण उनके कथन अखंडित श्रेणी के हैं और जिन पर अविश्वास किये जाने का कोई भी कारण अभिलेख से दर्शित नहीं होता है।

09. अतः मामले में घटना के समय व स्थान पर से किसी व्यक्ति द्वारा फरियादी पक्ष की कंपनी के प्रश्नगत विद्युत तारों को काटकर ले जाना संदेह से परे प्रमाणित पाया जाता है।

10. अब मामले में देखना यह है कि- "क्या घटना के समय व स्थान पर से अभियुक्तगण इस्पाक व हजरत उर्फ करुआ द्वारा ही फरियादी पक्ष की कंपनी के प्रश्नगत विद्युत तारों को काटकर ले जाया गया है ?"

11. जहाँ तक उक्त विचारणीय प्रश्न का संबंध है, अभियोजन के अनुसार प्रश्नगत सूचना मेमो, जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही करने वाले अधिकारी एसआई श्रीनिवास यादव अ०सा०-8 का अपने कथनों में कहना है कि उसने दिनांक 29.12.12 को अभियुक्त इस्पाक को गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०-4 के अनुसार गिरफ्तार कर पूछताछ किये जाने पर उसने चोरी किये गये तार को पाना पुल के आगे पुलिया के अंदर छिपाकर रख देना एवं चलकर बरामद करा देना बताया था, जिसका मेमो प्र०पी०-5 है। तत्पश्चात उसने अभियुक्त के बताये गये स्थान से 20 किलो बिजली के तार के बंडल को जप्ती पत्रक प्र०पी०-6 के अनुसार जप्त किया था।

12. इसी साक्षी एसआई श्रीनिवास यादव अ०सा०-8 का अपने कथनों में आगे कहना है कि उक्त दिनांक 29.12.12 को ही उसने अभियुक्त करुआ उर्फ हजरत खां को गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०-7 के अनुसार गिरफ्तार कर पूछताछ किये जाने पर उसने चोरी किये गये तारों को मंगे ढावा के आगे पुलिया के अंदर छिपाकर रख दिया जाना एवं चलकर बरामद करा देना बताया था, जिसका मेमो प्र०पी०-8 है एवं तत्पश्चात उसने अभियुक्त के बताये गये स्थान से 20 किलो बिजली के तार के बंडल को जप्ती पत्रक प्र०पी०-9 के अनुसार जप्त किया था।



**13.** अभियोजन के अनुसार सूचना मेमो, जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षी आरक्षक केशवदेव अ०सा०-4 का अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है कि वह दिनांक 29.12.12 को थाना मालनपुर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अभियुक्त इस्पाक को उसके सामने गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०-4 के अनुसार गिरफ्तार कर पूछताछ किये जाने पर उसने बिजली के खंबों से तार को उसके एवं हजरत खां के द्वारा चोरी करके एक-एक बंडल बांट लिया जाना एवं पाना पुल के पास पुलिया के नीचे छिपाकर रख देना एवं चलकर बरामद कर देना बताया था, जिसका मेमोरेण्डम कथन प्र०पी०-5 है। तत्पश्चात उक्त दिनांक को ही अभियुक्त इस्पाक के बताये स्थान से बिजली के तार 20 किलो जप्त किये गये थे, जिसका जप्ती पत्रक प्र०पी०-6 है तथा उक्त दिनांक को ही अभियुक्त हजरत को उसके सामने गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०-7 के अनुसार गिरफ्तार किये जाने पर पूछताछ करने पर उसने बताया था कि उसने अपने हिस्से में आये तार के बंडल को मंगे ढावा की पुलिया के पास छिपाकर रख दिया है, चलकर बरामद कराये देता हूँ, जिसका मेमोरेण्डम प्र०पी०-8 है। तत्पश्चात उक्त दिनांक को ही अभियुक्त हजरत के बताये हुये स्थान से विद्युत के तार जप्त किये गये थे, जिसका जप्ती पत्रक प्र०पी०-9 है।

**14.** अभियोजन के अनुसार सूचना मेमो, जप्ती व गिरफ्तारी के अन्य साक्षी आरक्षक शिवराम सिंह तोमर अ०सा०-7 का अपने कथनों में कहना है कि वह दिनांक 29.12.12 को थाना मालनपुर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को माहो नदी के पास से एसआई श्रीनिवास यादव द्वारा अभियुक्तगण इस्पाक व हजरत उर्फ करुआ को उसके सामने गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०-4 व 7 के अनुसार गिरफ्तार कर पूछताछ किये जाने पर उन्होंने बताया था कि दिनांक 09 व 10.09.12 की रात टुकेड़ा मौजा में सड़क के किनारे खेतों में लगे बिजली के खंबों से बिजली के तार को उन्होंने चोरी करके एक-एक बांट लिया है और जिन्हें पुलिया के अंदर छिपाकर रख दिया है, चलो चलकर बरामद कराये देता हूँ, जिसका मेमोरेण्डम कथन प्र०पी०-5 व 8 है। तत्पश्चात उक्त दिनांक को ही अभियुक्तगण के द्वारा बताये गये स्थान से दो बंडल बिजली के तार 20-20 किलो जप्त किये गये थे, जिसका जप्ती पत्रक प्र०पी०-6 व 9 है।

**15.** इस प्रकार विचारणीय बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में सूचना मेमो, जप्ती एवं गिरफ्तारी से संबंधित उक्त तीनों ही महत्वपूर्ण साक्षीगण द्वारा दिये गये कथनों का गहनता से परिशीलन तथा मूल्यांकन करने पर पाया जाता है कि कार्यवाहीकर्ता अधिकारी एसआई श्रीनिवास यादव अ०सा०-8 ने अपने कथनों में दिनांक 29.12.12 को थाना मालनपुर में एसआई के पद पर पदस्थ रहते हुये अभियुक्तगण इस्पाक व करुआ उर्फ हजरत को क्रमशः गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०-4 व 7 के अनुसार

गिरफ्तार कर पूछताछ किये जाने पर उनके द्वारा प्र०पी०-5 व 8 के अनुसार प्रकटीकरण दिया जाना बताया है। सूचना मेमो, जप्ती एवं गिरफ्तारी से संबंधित साक्षीगण/ आरक्षकगण केशवदेव अ०सा०-4 व शिवराम सिंह अ०सा०-7, जो कि हमराह फोर्स में शामिल रहे हैं, ने भी अपने न्यायालयीन कथनों में उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण की गिरफ्तारी करते हुये पूछताछ करने पर उनके द्वारा प्रकटीकरण किया जाना बताया है, लेकिन उक्त तीनों ही साक्षीगण के कथन अभिलेख पर प्रस्तुत प्र०पी०-4 लगायत 9 के महत्वपूर्ण दस्तावेजों सहित अभियोजन के मामले के अनुरूप होना कदापि नहीं पाये जाते हैं, क्योंकि उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मामले में प्रथमतः अभियुक्तगण की गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि पूर्व में अभियुक्तगण से पूछताछ किये जाने पर उनके द्वारा प्रकटीकरण किये जाने पर सूचना मेमो प्र०पी०-5 व 8 को लेखबद्ध किये जाने के पश्चात अभियुक्तगण की प्र०पी०-4 व 7 के अनुसार गिरफ्तारी हुई है। अतएव उक्त तीनों साक्षीगण के कथनों की पुष्टि महत्वपूर्ण दस्तावेजों प्र०पी०-4 लगायत 9 के दस्तावेजों के अवलोकन से होना नहीं पाई जाती है, बल्कि उक्त तीनों साक्षीगण के कथनों एवं प्र०पी०-4 लगायत 9 के दस्तावेजों के मध्य महत्वपूर्ण एवं सारवान विसंगति होना पाया जाता है।

16. विचाराधीन मामले में प्र०पी०-4 लगायत 9 के दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि उक्त सभी दस्तावेजों में, जो कि भिन्न-भिन्न समयों पर और भिन्न-भिन्न स्थानों से संबंधित हैं, पर साक्षीगण के रूप में सूचना मेमो, जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही करने वाले श्रीनिवास अ०सा०-8 द्वारा हमराह फोर्स में शामिल आरक्षकगण केशवदेव अ०सा०-4 व शिवराम अ०सा०-7 को ही साक्षी बनाया गया है और किसी भी दस्तावेज में किसी स्वतंत्र साक्षी के कहीं कोई हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं, जबकि स्वयं कार्यवाहीकर्ता अधिकारी एसआई श्रीनिवास यादव अ०सा०-8 का ही अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्रमांक 5 में स्पष्ट रूप से कहना है कि अभियुक्तगण को जिस स्थान पर गिरफ्तार किया गया था, वहां पर काफी लोगों का आवागमन रहता है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के यह कथन भी स्वीकार योग्य नहीं रह जाते हैं कि गिरफ्तारी के समय मौके पर कोई आमजन मौजूद नहीं था तथा उक्त संबंध में महत्वपूर्ण साक्षी/आरक्षक केशवदेव अ०सा०-4 का कहना है कि प्रतिपरीक्षण के पैरा क्रमांक 3 में स्पष्ट रूप से कहना है कि प्रश्नगत कार्यवाही के समय मौके पर उसके अलावा एसआई श्रीनिवास यादव, प्र०आर० सत्यवीर सिंह एवं आरक्षक शिवराम व आरक्षक प्रदीप उपस्थित थे अर्थात् कुल 5 पुलिस वाले उपस्थित थे, जबकि अन्य महत्वपूर्ण साक्षी/आरक्षक शिवराम सिंह तोमर अ०सा०-7 का अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्रमांक 5 में स्पष्ट रूप से कहना है कि कार्यवाही के समय मौके पर कुल मिलाकर पुलिस के तीन लोग उपस्थित थे और अन्य कोई भी उनके साथ नहीं था, जो कि

सारवान रूप से विरोधाभाषी कथन हैं। अतः उक्त आधारों पर सूचना मेमो, जप्ती व गिरफ्तारीकर्ता अधिकारी श्रीनिवास यादव अ०सा०-8 द्वारा संपादित कार्यवाही संदिग्ध स्वरूप की होना दर्शित होती है।

**17.** श्रीनिवास यादव अ०सा०-8 सहित हमराह फोर्स में शामिल दोनों साक्षीगण/आरक्षकगण केशव देव अ०सा०-4 व शिवराम सिंह अ०सा०-7 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कदापि प्रकट नहीं किया है कि प्रश्नगत सूचना मेमो, जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही कौन से समय एवं किन-किन साक्षीगण की उपस्थिति में संपादित हुई थी, बल्कि उक्त संबंध में प्रतिपरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण साक्षीगण केशवदेव अ०सा०-4 व शिवराम सिंह अ०सा०-7 के द्वारा उपरोक्तानुसार परस्पर सारतः विरोधाभाषी कथन किये गये हैं। यद्यपि मामले में आरक्षक शिवराम सिंह अ०सा०-7 ने प्रश्नगत गिरफ्तारी की कार्यवाही माहो नदी के पास होना बताया है, लेकिन ऐसा स्वयं कार्यवाहीकर्ता अधिकारी श्रीनिवास यादव अ०सा०-8 सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्षी आरक्षक केशव देव अ०सा०-4 का अपने न्यायालयीन कथनों में कहना नहीं है तथा कार्यवाहीकर्ता अधिकारी एसआई श्रीनिवास यादव अ०सा०-8 ने अपने कथनों में स्पष्ट एवं विस्तारपूर्वक यह नहीं बताया है कि अभियुक्तगण द्वारा प्रश्नगत पूछताछ के दौरान वास्तव में क्या-क्या प्रकटन किया था, बल्कि उक्त महत्वपूर्ण साक्षी का अपने कथनों में मात्र यही कहना है कि पूछताछ किये जाने पर अभियुक्त इस्पाक ने चोरी के तारों को पाना पुल के आगे पुलिया के अंदर छिपाकर रख दिया जाना एवं अभियुक्त हजरत द्वारा मंगे ढावा के आगे पुलिया के अंदर छिपाकर रख दिया जाना तथा चलकर बरामद करा देना बताया था। अतः उक्त संबंध में स्वयं कार्यवाहीकर्ता अधिकारी एसआई श्रीनिवास यादव अ०सा०-8 के कथनों में महत्वपूर्ण विलोपन होना पाया जाता है।

**18.** उपरोक्त के अलावा मामले में यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यवाहीकर्ता अधिकारी एसआई श्रीनिवास यादव अ०सा०-8 सहित हमराह फोर्स में शामिल साक्षीगण/आरक्षकगण केशवदेव अ०सा०-4 व शिवराम सिंह अ०सा०-7 के कथनों में अभिलेख पर महत्वपूर्ण एवं सारवान विरोधाभाष होना प्रकट है, क्योंकि कार्यवाहीकर्ता अधिकारी एसआई श्रीनिवास यादव अ०सा०-8 ने बताया है कि उसके द्वारा दिनांक 29.12.12 को अभियुक्त इस्पाक को गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०-4 के अनुसार गिरफ्तार कर पूछताछ किये जाने पर अभियुक्त ने चोरी किये गये तार को पाना पुल के आगे पुलिया के अंदर छिपाकर रख देना एवं चलकर बरामद करा देना बताया था, जिसका मेमो प्र०पी०-5 है। तत्पश्चात उसने अभियुक्त के बताये गये स्थान से 20 किलो बिजली के तार के बंडल को जप्ती पत्रक प्र०पी०-6 के अनुसार जप्त किया था।

19. इसी प्रकार उक्त कार्यवाहीकर्ता अधिकारी एसआई श्रीनिवास यादव अ०सा०-8 का अपने कथनों में आगे कहना है कि उसने उक्त दिनांक 29.12.12 को ही उसने अभियुक्त करुआ उर्फ हजरत खां को गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०-7 के अनुसार गिरफ्तार कर पूछताछ किये जाने पर उसने चोरी किये गये तारों को मंगे ढावा के आगे पुलिया के अंदर छिपाकर रख दिया जाना एवं चलकर बरामद करा देना बताया था, जिसका मेमो प्र०पी०-8 है एवं तत्पश्चात उसने अभियुक्त के बताये गये स्थान से 20 किलो बिजली के तार के बंडल को जप्ती पत्रक प्र०पी०-9 के अनुसार जप्त किया था, लेकिन हमराह फोर्स में शामिल आरक्षक/साक्षी वह दिनांक 29.12.12 को थाना मालनपुर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अभियुक्त इस्पाक को उसके सामने गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०-4 के अनुसार गिरफ्तार कर पूछताछ किये जाने पर उसने बिजली के खंबों से तार को उसके एवं हजरत खां के द्वारा चोरी करके एक-एक बंडल बांट लिया जाना एवं पाना पुल के पास पुलिया के नीचे छिपाकर रख देना एवं चलकर बरामद कर देना बताया था, जिसका मेमोरेण्डम कथन प्र०पी०-5 है। तत्पश्चात उक्त दिनांक को ही अभियुक्त इस्पाक के बताये स्थान से बिजली के तार 20 किलो जप्त किये गये थे, जिसका जप्ती पत्रक प्र०पी०-6 है तथा उक्त दिनांक को ही अभियुक्त हजरत को उसके सामने गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०-7 के अनुसार गिरफ्तार किये जाने पर पूछताछ करने पर उसने बताया था कि उसने अपने हिस्से में आये तार के बंडल को मंगे ढावा की पुलिया के पास छिपाकर रख दिया है, चलकर बरामद कराये देता हूँ, जिसका मेमोरेण्डम प्र०पी०-8 है। तत्पश्चात उक्त दिनांक को ही अभियुक्त हजरत के बताये हुये स्थान से विद्युत के तार जप्त किये गये थे, जिसका जप्ती पत्रक प्र०पी०-9 है, जबकि हमराह फोर्स में शामिल अन्य आरक्षक/साक्षी शिवराम सिंह तोमर अ०सा०-7 का उक्त कथनों से सारतः असंगत कहना है कि वह दिनांक 29.12.12 को थाना मालनपुर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को माहो नदी के पास से एसआई श्रीनिवास यादव द्वारा अभियुक्तगण इस्पाक व हजरत उर्फ करुआ को उसके सामने गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०-4 व 7 के अनुसार गिरफ्तार कर पूछताछ किये जाने पर उन्होंने बताया था कि दिनांक 09 व 10.09.12 की रात टुकेड़ा मौजा में सड़क के किनारे खेतों में लगे बिजली के खंबों से बिजली के तार को उन्होंने चोरी करके एक-एक बांट लिया है और जिन्हें पुलिया के अंदर छिपाकर रख दिया है, चलो चलकर बरामद कराये देता हूँ, जिसका मेमोरेण्डम कथन प्र०पी०-5 व 8 है। तत्पश्चात उक्त दिनांक को ही अभियुक्तगण के द्वारा बताये गये स्थान से दो बंडल बिजली के तार 20-20 किलो जप्त किये गये थे, जिसका जप्ती पत्रक प्र०पी०-6 व 9 है। इस प्रकार उक्त तीनों महत्वपूर्ण साक्षीगण के कथनों में सारवान विरोधाभाष होना भी पाया जाता है।



**20.** कार्यवाहीकर्ता अधिकारी एसआई श्रीनिवास यादव अ०सा०-8 का अपने कथनों में कहना है कि वह सुबह के समय रवानगी डालकर गश्त के लिये निकला था, लेकिन उक्त संबंध में कोई रवानगी बावत रोजनामचा सान्हा पेश नहीं किया गया है तथा साक्ष्य के दौरान जप्तशुदा तारों को अभियोजन पक्ष द्वारा संबंधित साक्षी से सामाना कराते हुये प्रदर्शित भी नहीं कराया गया है, बल्कि स्वयं फरियादी कनिष्ठ यंत्री अंशु सक्सेना अ०सा०-1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि शिनाख्ती के समय चोरी गये तारों अलावा अन्य कोई तार उसमें मिलाये नहीं गये थे तथा अभियोजन के अनुसार शिनाख्ती कार्यवाही कराने वाली सरपंच श्रीमती जयदेवी अ०सा०-6 अपने न्यायालयीन कथनों में प्रश्नगत शिनाख्ती कार्यवाही कराने से इंकार करते हुये पुलिस द्वारा घर पर आकर शिनाख्ती पंचनामा प्र०पी०-3 पर उसके हस्ताक्षर भर करा लिया जाना बताया है। अतः मामले में विधिवत शिनाख्ती की कार्यवाही कराया जाना भी प्रमाणित नहीं होता है, बल्कि उक्त आधारों पर अभियोजन के मामले के विपरीत उपधारणा होती है।

**21.** एसआई श्रीनिवास यादव अ०सा०-8 सहित साक्षीगण केशवदेव अ०सा०-4 व शिवराम सिंह अ०सा०-7 ने अपने न्यायालयीन कथनों में दिनांक 29.06.12 को दर्ज प्रश्नगत अपराध के अंतर्गत करीब 6 माह पश्चात अभियुक्तगण को अचानक से गिरफ्तार किया जाना बताया है, लेकिन उक्त तीनों ही साक्षीगण द्वारा प्रश्नगत अपराध में अभियुक्तगण की संलिप्तता ज्ञात होने के संबंध में अभिलेख पर कुछ भी प्रकट नहीं किया गया है।

**22.** उपरोक्त के विपरीत अभियुक्त हजरत ब०सा०-1 ने जिरह में स्थिर रहते हुये अपने न्यायालयीन कथनों में तथा दोनों अभियुक्तगण ने धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत लेखबद्ध किये गये अभियुक्त परीक्षण में पुलिस द्वारा झूठा फंसाया जाना प्रकट किया गया है। उपर के पैराओं में किये गये समस्त विवेचन के प्रकाश में अभियुक्तगण द्वारा लिये गये बचाव के सही होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

**23.** परिणामतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर प्रकट सारवान एवं महत्वपूर्ण विरोधाभाष, विलोपन एवं विसंगतियों को दृष्टिगत रखते हुये कार्यवाहीकर्ता श्रीनिवास अ०सा०-8 के उक्त कथनों सहित उसके द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध संपादित प्रश्नगत कार्यवाही विश्वासप्रद स्वरूप की होना नहीं पाये जाने से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि घटना के समय व स्थान पर से अभियुक्तगण के द्वारा ही फरियादी पक्ष की कंपनी के प्रश्नगत विद्युत तारों को काटकर ले जाया गया है। तदनुसार बिंदुबार किये गये विवेचन के प्रकाश में अभियुक्तगण के विरुद्ध

अभियोजन का यह मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाने से दोनों अभियुक्तगण इस्पाक व हजरत उर्फ करुआ को धारा 136 भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

24. प्रकरण में अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अतः उनके जमानत प्रपत्र भारमुक्त किये जाते हैं।

25. प्रकरण में जप्तशुदा तारों को अभियुक्तगण द्वारा अपने होना क्लेम नहीं किये जाने एवं अभिलेख के परिशीलन से जप्तशुदा तार फरियादी पक्ष की कंपनी के स्वामित्व व आधिपत्य के होना प्रकट होने से आदेश दिया जाता है कि जप्तशुदा बिजली के तारों को संबंधित फरियादी पक्ष म०प्र०म०क्षे०विवि० कंपनी लिमिटेड विद्युत वितरण केंद्र कीरतपुरा को अपील अवधि पश्चात अपील नहीं होने की दशा में प्रदान किये जावे। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा की जावे।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(सतीश कुमार गुप्ता)  
विशेष न्यायाधीश,  
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003  
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

(सतीश कुमार गुप्ता)  
विशेष न्यायाधीश,  
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003  
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०